न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर — तारीख रजू — तारीख निर्णय

30/2025 — 18.06.2025 — 25/6/25

1. जसराज पुत्र गुलाब, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी
2. भंवर सिंह पुत्र गुलाब, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी
3. हिम्मतसिंह पुत्र मानसिंह, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :—श्री मोहसिन खान, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1096/236 रकबा 0.50 है0 ग्राम हिगोंटिया में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी की पडौस की भूमि ख0न0 1059/236, 1097/236 के खातेदार व उनके परिवार वाले आये दिन विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की डौल मेड को तोड देते है। जिससे प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदारों के मध्य झगडा होने की संभावना बनी रहती है। जिसके कारण प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवेदन करने पर तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक भूअ/2025/2256—60 दिनांक 10.06.2025 की पालना में पटवारी श्रीमती सुमनलता शर्मा एवं श्री मोहनलाल रैगर ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का दिनांक 13.06.2025 को सीमाज्ञान कर मावे पर पर्चा मौका तैयार किया गया। उसके बाबजूद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदार व उनके परिवार वाले प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की डौल मेड को तोडने पर आमादा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 1096/236 ग्राम हिगोंटिया [illegible] गंगापुर सिटी के चारो तरफ की भूमि की बाउन्ड्री/सीमा पर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण [illegible] नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 03 ग्राम हिगोंटिया, फोटोकापी पर्चा मौका दिनांक 13.06.2025 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि ख0नं0 1096/236 रकबा 0.50 है0 ग्राम हिगोंटिया का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थीगण का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 1096/236 रकबा 0.50 है0 ग्राम हिगोंटिया की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 1096/236 रकबा 0.50 है0 ग्राम हिगोंटिया पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:05:15 IST
Reason: SelfAttested